प्रेस नोट

दिनांक 20.07.2024

थाना बिवांर पुलिस द्वारा हत्या का वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (बांका) सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.07.2024 को मु0अ0सं0 183/2024 धारा 103(1) BNS थाना बिवांर जनपद हमीरपुर से संबंधित वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त प्रमोद सिंह पुत्र बच्चा सिंह निवासी ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अतरार छानी रोड़ पर स्थित गौशाला के पास कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे का बांका बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय हमीरपुर भेजा गया ।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 10.07.2024 को थाना बिवांर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर में संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 45 वर्ष की कंपोजिट स्कूल अतरार में दिव्यांग शौचालय के पीछे धारदार हथियार से गला रेतकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। परिजनों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक संदीप सिंह अपने ही गांव के दत्ता पंडित पुत्र राम प्रकाश तिवारी के साथ शराब पीने के लिए घर से निकले थे, रात में जब वापस नहीं आये तो परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी तलाश के दौरान सुबह अतरार स्कूल के अंदर शौचालय के पीछे मृत अवस्था में मिले। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। फील्ड यूनिट टीम हमीरपुर के द्वारा साक्ष्य संकलित किए । थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा / पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई थी। मृतक के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिवांर पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त प्रमोद सिंह द्वारा मृतक की हत्या करने के सम्बन्ध में बताया गया कि मेरी लड़की से मृतक संदीप सिंह के लड़के ने छेड़खानी की थी जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है उसी मुकदमे में समझौता कराने के लिए मृतक संदीप सिंह मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था, इसी कारण मैने संदीप सिंह को घटना वाले दिन खूब शराब पिलाकर और मौके पाकर कम्पोजिट विद्यालय अतरार में ले जाकर बांका से गला काटकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तः- प्रमोद सिंह पुत्र बच्चा सिंह निवासी ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे का बांका।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 174/98 धारा 307 आई0पी0सी0 थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

2.मु0अ0सं0 244/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

3.मु0अ0सं0 583/08 धारा 504/506 आई0पी0सी0 व 3(1)10 SC/ST एक्ट थाना बिवांर हमीरपुर।

4.मु0अ0सं0 53/15 धारा 323/504/506 आई0पी0सी0 थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

5.मु0अ0सं0 342/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

6.मु0अ0सं0 55/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

7.मु0अ0सं0 86/20 धारा 147/504/506/286 आई0पी0सी0 थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

8.मु0अ0सं0 63/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

9.मु0अ0सं0 317/21 धारा 286/504/506 आई0पी0सी0 थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

10.मु0अ0सं0 319/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

11.मु0अ0सं0293/22धारा 323/504/506IPCव3(1)द,ध/3(2)VaSC/STएक्ट थाना बिवांर हमीरपुर।

12. मु0अ0सं0 69/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

13. मु0अ0सं0 183/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार

2.निरीक्षक क्राइम रनवीर सिंह

3.का0 हरिनन्दन

4.का0 दीपू